फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री इन्द्रमल बनाम **विपक्षी : श्री भगवतीलाल व अन्य**

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **पत्रावली संख्या 33 / 23**

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 2 की तरफ से वकालतनामा पत्र पेश नहीं किया गया। पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि में विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार आधिपत्य नहीं है लेकिन प्रार्थी की प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पश्चिम दिशा में विपक्षी की आराजीयात आ जाने के कारण विपक्षी प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं तथा प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा कर रहे है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 3 द्वारा जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित हैं। उक्त भूमि मे प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार आधिपत्य नहीं है जिससे प्रार्थी का वाद बिना कब्जे के आधार पर है। प्रार्थी का नाम उक्त भूमि मे गलत अंकित है जिसको लेकर कथित आवंटन को निरस्त करने के लिए जिला कलक्टर उदयपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके प्रकरण संख्या 23 / 2023 हो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी का आराजी न. 2980, 2982 पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं न ही प्रार्थी के पुर्वाधिकारीयों का कब्जा रहा हैं केवल मात्र विपक्षीगण को परेशान करने के लिये मिथ्या वाद पेश किया गया जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का कथन कहा है परन्तु विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को प्रार्थी के नाम गलत अंकित होना बताया है जिसे लेकर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश करना बताया है जिसके प्रकरण संख्या 23 / 2023 बताये है साथ ही प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होने का कथन कहा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम गलत अंकित हुई है या नहीं ? इस बिन्दु को इस पत्रावली में तय नहीं किया जा सकता। इस बिन्दु को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। मुल वाद के निस्तारण तक मौके की स्थिति से बचने के लिये उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष मे निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकरान के पक्ष में निर्णित किये जाने से सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है जिससे किसी प्रकार के मौके परिवर्तन से बचा जा सकें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बासंडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 320 की आराजी नम्बर 2980, 2982 किता 2 रकबा 0.8700 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:19:30 IST
Reason: SelfAttested